न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

गोपीराम बनाम मुरलीधर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्रा०पत्र अस्थाई निषे० सं.न. — 75/2023	नम्बर व त[illegible] अहकाम ज[illegible] हुक्म की त[illegible] में जारी [illegible]
30.04.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थीगण एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
26.05.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में सम्बन्धित समस्त अप्रार्थीगण 1 लगायत 39 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रकरण में दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने समस्त अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। हमने वकील प्रार्थीगण की बहस एकपक्षीय सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अंकित समस्त अप्रार्थीगण 1 लगायत 39 के विरुद्ध न्यायालय द्वारा दिनांक 28.08.2024 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अन्तिम निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अ[illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22.08.2023 को मूल वादपत्र के निस्तारण [illegible]क कन्फर्म किया जाता [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:29 IST
Reason: SelfAttested